

27/10/19

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेशा हुई। अणकी
बावजूद घुसना अनु. होने के कारण एकपक्ष
कार्यवाही की गई। प्रार्थी के अतिवक्त एक
बहन सुनी गई बहस का प्रश्न किया पत्रावली
गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया प्रार्थीगण
द्वारा प्रा. पत्र में वर्णित अनिवचनों के समर्थन
प्रस्तुत इत्यादि के अवलोकन किया गया
पत्रावली पर उपलब्ध इत्यादि के आधार
के अवलोकन से प्रार्थीगण के प्रा. पत्र में वर्णित
अनिवचनों को बल प्राप्त होता है तथा प्रथम
दृष्ट्या वेस एवं सुविद्या का संतुलन एवं
अप्रतीति के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते
प्रार्थीगण के प्रा. पत्र अस्थायी निषेधान्ता को
स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता

अतः प्रार्थीगण को परिश्रे अस्था
निषेधान्ता से पाबंद्य किया जाता है कि प्रार्थी
को उसके कब्जे काबत में उखलशजी में ही
अप्रार्थीगण बाके रामा कालबान तहसील तिकराय
स्थित आराजी साबिक ख. नं 535 हाल ख. नं 77
रम्बा ७३ 79 हे. गांके रामा कालबान में मौके वृ शप
रिकॉर्ड की शब्द के निष्कारण तक यथास्थिति बने
रखे। पत्रावली फेलल सुमार होकर नम्बर से प्र
है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्या
में पुनाया गया। अ 27/10/19